

मुख्यमंत्री ने मोदी-शाह समेत कई केन्द्रीय मंत्रियों से मुलाकात की

भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय मंत्री राजीव रंजन से मुलाकात कर राजस्थान के किसानों और पशुपालकों के हित से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की

नई दिल्ली/जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को अपने नई दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं विभिन्न केन्द्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम प्रधानमंत्री मोदी से भेंट कर उन्हें राज्य की डबल इंजन सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और राजस्थान के विकास के रोडमैप की विस्तृत जानकारी दी। भजनलाल शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देता रहेगा। शर्मा ने संसद भवन पहुंचकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तथा राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ से भी मुलाकात की। इस दौरान तीनों नेताओं के बीच राजस्थान के चहुंमुखी विकास और केंद्र एवं राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।

की दिशा में किए जा रहे नवाचारों, लोक कल्याणकारी योजनाओं व सहकारिता के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। शर्मा ने केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं रसायन व उर्वरक मंत्री जे.पी. नड्डा से शिष्टाचार भेंट कर नड्डा को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दीं। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे आधुनिक सुधारों, चिकित्सा

सेवाओं के सशक्तिकरण तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर विचार-विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को ही केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। इस दौरान राज्य में कुशल वित्तीय प्रबंधन, जीएसटी सुधारों से आमजन को हुए फायदों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन, डेयरी तथा पंचायतीराज

■ मुख्यमंत्री ने राज्य में अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना में सहयोग के लिए केन्द्रीय मंत्री का जताया आभार

केंद्र की स्थापना में सहयोग के लिए केन्द्रीय मंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री शर्मा ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि राजस्थान की डबल इंजन सरकार राज्य के त्वरित विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने बताया कि कैमल मिल्क और इससे निर्मित उत्पादों के राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रभावी विपणन की दिशा में राज्य सरकार तेजी से कदम उठा रही है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और गरीब कल्याण के लिए नीतियां लागू करने के साथ ही निरंतर जनहितैषी फैसले ले रही हैं।

एएजी पद्मेश मिश्रा की नियुक्ति पर पुनः लगी हाईकोर्ट की मुहर

अदालत ने उनकी नियुक्ति के खिलाफ दायर अपील भी खारिज की

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ता पद्मेश मिश्रा को अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) बनाये जाने के आदेश को सही ठहराया है। अदालत ने उनकी नियुक्ति के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है और इसी मामले में एकलपीठ द्वारा दिए गए फैसले को भी जायज ठहराया है।

■ हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि "मामलों को अदालतों में प्रस्तुत करना एक कला है, जिसका अनुभव से कोई लेना-देना नहीं होता है। कई बार कम अनुभव वाले वकील भी एक्सपर्ट्स और विशेषज्ञ अधिवक्ताओं से बेहतर जिरह कर सकते हैं। यह राज्य सरकार का दायित्व है कि, वह किसे जिरह के लिए एएजी चुनती है।"

उल्लेखनीय है कि इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के ही अन्य अधिवक्ता सुनील समदरिया ने पद्मेश मिश्रा की नियुक्ति के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि, राज्य सरकार की विधि नीति के विरुद्ध जकार मिश्रा को एएजी बनाया गया है और अधिवक्ता पद्मेश मिश्रा के पास पर्याप्त अनुभव ही नहीं है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस.पी.शर्मा और बलजिंदर सिंह संघू ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है।

राज्य सरकार ने फैसला भी ले लिया। उनका आरोप था कि, विधिक नीति में जिस तरह संशोधन करके पद्मेश मिश्रा की नियुक्ति की गई, उससे प्रतीत होता है कि, केवल मिश्रा को ही एएजी पद का लाभ देने के लिए यह नीति बदली गई थी।

जैसा कि विदित है कि, अधिवक्ता सुनील समदरिया ने इस मामले में दायर अपील में राज्य सरकार की विधिक नीति को भी चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि, एक तरफ विधिक नीति के मुताबिक एएजी बनने के लिए 10 वर्ष का न्यूनतम अनुभव होना जरूरी है, वहीं दूसरी ओर विधिक नीति की धारा 14.8 के अनुसार, राज्य सरकार किसी भी अधिवक्ता को एएजी नियुक्त कर सकती है।

हाईकोर्ट को खंडपीठ ने अपने फैसले में एकलपीठ के फैसले को ही उद्धृत किया और कहा कि, नीति में फेरबदल करना और नीति के बाद किसी व्यक्ति विशेष की नियुक्ति तथा इस पूरी प्रक्रिया को मनमानी और दुर्भावनावश की गई नियुक्ति नहीं माना जा सकता।

उनका कहना था कि, पुरानी विधिक नीति में संशोधन करने के तुरंत बाद ही पद्मेश मिश्रा को एएजी बनाने के लिए सिफारिश दी गई, जिस पर तुरंत

प्रस्तुत किया गया कि, अतिरिक्त महाधिवक्ता का पद महाधिवक्ता के पद की तरह नहीं होता, जो एक संवैधानिक पद है। अदालत को यह भी बताया गया कि, सुप्रीम कोर्ट भी यह कह चुका है कि अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज्य सरकार और महाधिवक्ता के सहयोग के रूप में अदालतों में किसी विभाग के विशेष मामले प्रस्तुत करने में मदद करते हैं।

वह महाधिवक्ता की तरह किसी सार्वजनिक कार्यालय के पद पर नहीं रहते हैं और ना ही जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही होती है। यह कार्य केवल महाधिवक्ता का है। चूंकि यह कोई सरकारी पद नहीं है, इसलिए व्यक्ति विशेष, एएजी को हटाने के लिए याचिका दायर नहीं कर सकता। पद्मेश मिश्रा के अनुभव पर उठे सवाल को लेकर अदालत ने टिप्पणी की, कि मामलों को अदालतों में प्रस्तुत करना एक कला है, जिसका अनुभव से कोई लेना-देना नहीं होता है। कई बार कम अनुभव वाले वकील भी एक्सपर्ट्स और विशेषज्ञ अधिवक्ताओं से बेहतर जिरह कर सकते हैं। यह राज्य सरकार का दायित्व है कि, वह किसे जिरह के लिए एएजी चुनती है।

वकील से दुर्व्यवहार पर हाईकोर्ट की फटकार : कुडी थानाधिकारी सस्पेंड, थाना स्टॉफ लाइन हाजिर

एस.एच.ओ. द्वारा बदतमीजी करने का वायरल वीडियो देखने के बाद हाईकोर्ट के मुख्याधीश ने पुलिस आयुक्त, डीसीपी वेस्ट, एसीपी और थानाधिकारी को कोर्ट में तलब कर फटकार लगाई

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर कमिश्नरेट के जिला पश्चिम के कुडी भगतासनी थानाधिकारी हमीर सिंह और अधिवक्ता भरत सिंह राठौड़ के साथ सोमवार की शाम को हुई नोक-झोंक के बाद थानाधिकारी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने अधिवक्ताओं में हलचल पैदा कर दी। रातों रात अधिवक्ता को लेकर प्रसंज्ञान लिया और पुलिस आयुक्त, डीसीपी वेस्ट, एसीपी और थानाधिकारी को कोर्ट में तलब कर दिया। हाईकोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधीश एसपी शर्मा और बीएस संघू की अदालत में सुबह मामले को लेकर सुनवाई आरंभ हुई और पुलिस को कल का वीडियो दिखाया गया। कोर्ट ने पुलिस को थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाने के सहित घटना को लेकर फटकार लगाई और एसएचओ को

■ उच्च न्यायालय ने पुलिस थाने में सी.सी.टी.वी. कैमरे नहीं लगाये जाने को लेकर नाराजगी भी जताई

निलंबित किए जाने के आदेश जारी किए। साथ ही थाने में वक्त घटना तैनात पुलिस कर्मियों को थाने से हटाने के आदेश दिए। कोर्ट ने मामले में आईपीएस अधिकारी से जांच करवाने की बात भी की। मामले को लेकर एसी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए कोर्ट को आश्चर्य किया। एसएचओ सहित सायंकालिन ड्यूटी पर तैनात स्टाफ को भी हटाने के लिए बात की। जानकारी के अनुसार कमिश्नरेट के जिला पश्चिम में कुडी भगतासनी थाने में थानाधिकारी हमीर सिंह की एक रैप पीड़िता के साथ आए अधिवक्ताओं से नोक-झोंक हो गई थी। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। आरोप था कि थाने में एक अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार

किया गया। बताया जा रहा है कि, अधिवक्ता भरत सिंह राठौड़ व महिला अधिवक्ता पत्नी एक रैप पीड़िता के साथ कुडी थाने गए थे। यहां मामले में कार्रवाई करने व पुलिसकर्मियों के वर्दी नहीं पहनने को लेकर अधिवक्ता की थानाधिकारी हमीर सिंह के साथ बहस हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि अधिवक्ता को धमकाते थानाधिकारी ने कहा कि तुम ये पूछने वाले कौन होते हो। इसके बाद थानाधिकारी वकील को पकड़कर अंदर ले जाते वीडियो में रिकार्ड हो गए। हालांकि उनके साथ आए अधिवक्ता ने विरोध भी जताया। यह विडियो वायरल होते ही वकीलों की भीड़ थाने पर इकट्ठी हो गई तथा घटना पर आक्रोश प्रकट करते प्रदर्शन शुरू कर दिया।

अधिवक्ता राठौड़ का आरोप है कि उनके साथ वहां दुर्व्यवहार किया गया और थानाधिकारी ने वर्दी का रीब जमाते हुए अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। यह वीडियो तेजी से रात को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट एसोसियेशन और लायर्स एसोसियेशन के अधिवक्ता लामबद्ध हो गए और कार्रवाई की मांग करने लगे थे।

इधर इस मामले को राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अदालत के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य ने रखा और पूरे प्रकरण से अवगत कराया। अदालत ने पहले घटना का वायरल वीडियो देखा और तुरंत संज्ञान लेकर पुलिस कमिश्नर, पुलिस उपायुक्त (डीसीपी वेस्ट) और कुडी थानाधिकारी को कोर्ट में तलब किया। कोर्ट ने वीडियो देखने के बाद पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश को जमकर फटकार लगाई। जोधपुर पुलिस कमिश्नर और सीपी पुलिसकर्मियों को सॉफ्ट रिस्कल ट्रेनिंग दी जाए। किससे, किस तरीके से बात करनी चाहिए, कैसे लोगों से पेश आना चाहिए, यह पुलिस को आना चाहिए। पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट में कहा कि आईपीएस स्तर के अधिकारी से जांच करवाई जा रही है। अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी। इसके साथ ही पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जांच रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।

230 माइनर मिनरल ब्लॉकों की ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू

जयपुर (कासं)। राज्य में दिसंबर माह में 230 माइनर मिनरल प्लॉटों की ई-नीलामी की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है वहीं चालू वित्तीय वर्ष के आगामी तीन माहों में करीब 400 माइनर मिनरल प्लॉटों की ई-नीलामी का एक्शन प्लान बनाया गया है। प्रमुख सचिव माईस एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने यह जानकारी मंगलवार को सचिवालय में मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉकों और प्लॉटों की ई-नीलामी की समीक्षा बैठक के दौरान दी। उन्होंने कहा कि खान विभाग एक और खनिज खोज कार्य को गति दे रहा है, वहीं फील्ड मशीनरी को और अधिक सक्रिय करते हुए प्लॉट डेलिभरेशन से लेकर ऑक्शन पूर्व तैयारियां मिशन मोड में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। टी. रविकान्त ने बताया कि विभाग द्वारा आगामी तीन माह का एक्शन प्लान बना लिया है और उसी के अनुसार एनआईबी जारी करने से लेकर ऑक्शन प्रक्रिया पूरी करने तक की पूर्ण तैयारियां की जा रही हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मिनरल ब्लॉकों की समयबद्ध नीलामी पर जोर दे रहे हैं, जिससे अवैध खनन गतिविधियों पर रोक, वैध खनन को बढ़ावा, माइनिंग सेक्टर में निवेश और रोजगार के साथ ही राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हो सके। निदेशक माईस महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि दिसंबर माह में 104 माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के लिए एनआईबी जारी कर दी गई है और 126 माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी एनआईबी इसी सप्ताह जारी हो जाएगी।

मंत्री सुरेश सिंह रावत ने किया जंबूरी विजेता दल का अभिनन्दन



राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के उपाध्यक्ष एवं राज्य सरकार के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने अपने आवास पर उत्तरप्रदेश के लखनऊ में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में सहभागिता कर लौटे प्रदेश के दल के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों को आमंत्रित कर सम्मानित किया।

जयपुर। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के उपाध्यक्ष एवं राज्य सरकार के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने अपने आवास पर उत्तरप्रदेश के लखनऊ में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में सहभागिता कर लौटे प्रदेश के दल के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों को आमंत्रित कर सम्मानित किया। इस अवसर पर रावत ने जम्बूरी में राजस्थान दल द्वारा जीती हुए सर्वोच्च अवार्ड एवं पताकों का अवलोकन कर सभी पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई अर्पित की और राजस्थान का गौरव बढ़ाने के लिए साधुवाद दिया। रावत ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड

■ दल ने जंबूरी में प्राप्त सर्वोच्च अवार्ड का अवलोकन कराया

सदैव प्रदेश एवं संगठन को गौरवान्वित करता रहा है। भारत स्काउट व गाइड के सदस्यों का कार्य समाज एवं राष्ट्र की सेवा व समृद्धि को समर्पित रहा है। इस अवसर पर स्टेट कमिश्नर डॉ. अखिल शुक्ला, राज्य सचिव डॉ. पी.सी. जैन, राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट) पून, राजस्थान शोखावत, राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट) बजा लाल, सहायक राज्य संगठन आयुक्त (गाइड) नीता शर्मा,

चारधाम हेलीकॉप्टर सेवाओं में सुरक्षा बढ़ाना और तीर्थयात्रियों की सुविधा सर्वोपरि : मदन राठौड़

जयपुर। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने चार धाम तीर्थयात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मुद्दे को सदन में प्रमुखता से उठाया। राठौड़ के सवाल के जवाब में नागर विमानन मंत्रीमुरलीधर मोहोले ने बताया कि हेलीकॉप्टर संचालन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कई अतिरिक्त उपाय किए गए हैं। सहलखनारा (देहरादून) और सीतापुर (केदारनाथ) हेलीपैड पर विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। इन कक्षों में यूसीएडीए के प्रभारी अधिकारी, एटीसी अधिकारी और आईएनडी अधिकारी वास्तविक समय के मौसम डेटा और यातायात स्थितियों के आधार पर गो/नो-गो निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार हैं। यह व्यवस्था तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई है। सांसद मदन राठौड़ ने हेलीपैड निरीक्षण और प्रचालकों के ऑडिट और भी स्पष्ट जानकारी मांगी। इसके जवाब में मंत्री ने बताया कि केदारनाथ के लिए परिचालन आरंभ करने से पहले डीजीसीए ने 7 हेलीपैडों और 6 हेलीकॉप्टर प्रचालकों का निरीक्षण/ऑडिट किया। इसके अतिरिक्त चार धाम हेतु परिचालन की अनुमति प्रदान करने से पूर्व 12 प्रचालकों और 10 हेलीपैडों की विस्तृत जांच की गई। चार धाम और केदारनाथ मार्गों पर अतिरिक्त मौसम कैमरों की स्थापना की गई है, जिससे प्रतिकूल परिस्थितियों की त्वरित पहचान संभव हो सके। उन्होंने बताया कि मानसून-पश्चात चरण में सभी डेटा में सुशुद्ध और सुव्यवस्थित रूप से संचालित की गई और डीजीसीए के उपायों ने विश्वसनीयता को और मजबूत किया है।

45 लाख के डोडा-पोस्ट के साथ दो तस्कर भाई गिरफ्तार

ग्रेनाइट की आड़ में छिपाई गई 304 किलो से अधिक अफीम और डोडा-चूरा की खेप जप्त

जयपुर (कासं)। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स राजस्थान की सूचना पर भीलवाड़ा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रक कंटेनर को गहन जांच के बाद ग्रेनाइट की बिल्टी की आड़ में तस्करी किया जा रहा 45.75 लाख रुपय मूल्य



एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की सूचना पर भीलवाड़ा पुलिस ने 304 किलो डोडा-पोस्ट जप्त कर दो तस्कर दबोचे।

■ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने अंतरराज्यीय नेटवर्क का खुलासा किया

का 304 किलो 700 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट जप्त किया है। पुलिस टीम ने मौके से बीकानेर के दो तस्कर भाइयों पूरणा राम लेधा (40) और देवेन्द्र उर्फ देवा (21) निवासी सोमलसर को गिरफ्तार किया है।

डोडा चूरा बरामद हुआ। इस मामले में दोनों भाई पूरणा राम लेधा (40) और देवेन्द्र उर्फ देवा (21) को गिरफ्तार किया गया।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दिनेश एमएन ने बताया कि टीम को महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी मिली कि एक ट्रक कंटेनर में ग्रेनाइट की बिल्टी की आड़ में तस्करी की जा रही है। इस सूचना के आधार पर गुलाबपुरा थाना पुलिस ने त्वरित नाकाबंदी की।

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपी आंध्र प्रदेश के मातूर जिले से ग्रेनाइट भरकर पंजाब की ओर जा रहे थे। उन्होंने बीच रास्ते मध्य प्रदेश के जावर क्षेत्र से यह डोडा पोस्ट लोड किया। जिसे बीकानेर जिले के गांव अर्जुनसर निवासी देवाराम उर्फ भानू नाम के व्यक्ति को देनी थी। जो अपनी कार या कैब पर गाड़ी लेकर उनका इंतजार करता। दोनों तस्करों ने पूर्व में तीन से चार बार मादक पदार्थों की तस्करी करने की बात स्वीकार की है। पुलिस टीम दोनों शांति आरोपियों से गहनता से पूछताछ करने में जुटी है, ताकि उनके पूरे अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क का समूल पर्दाफाश किया जा सके।

इस कार्रवाई में कांस्टेबल विजय सिंह व गोपाल धाबाई की विशेष भूमिका और हेड कांस्टेबल महावीर सिंह व जितेंद्र की तकनीकी कुशलता सराहनीय रही। वहीं टीम में शामिल एसआई प्रताप सिंह, बनवारी लाल शर्मा, हेड कांस्टेबल महेश सोमन, हेमंत शर्मा, कांस्टेबल देवेन्द्र सिंह, गंगाराम व चालक दिनेश शर्मा का भी उत्कृष्ट सहयोग रहा।

राजभवन का नाम अब "लोकभवन" होगा

जयपुर (कासं)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे द्वारा जारी आदेशों के अंतर्गत राजभवन को अब "लोकभवन" के नाम से जाना जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे की पहल पर इस संवोध में

■ राज्यपाल बागडे के निर्देश पर जारी हुई आदेश

अधिसूचना जारी की गई है। एक दिसम्बर 2025 से यह अधिसूचना प्रभावी रहेगी। राज्यपाल बागडे ने कहा कि औपनिवेशिक मानसिकता से लोकतांत्रिक भारतीय संस्कृति की ओर आगे बढ़ने की दिशा में "लोकभवन" नामकरण बहुत बड़ी पहल है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। हमारे देश के संविधान की उद्देशिका ही "हम भारत के लोग" से प्रारंभ होती है। लोकतंत्र में लोक ही प्रमुख है, इसलिए राज्यपाल का कार्यक्षेत्र अब "लोकभवन" नाम से जाना जाएगा। यह केवल नामकरण नहीं, बल्कि लोगों का भावनाओं और लोक आकांक्षाओं का प्रतीक है। राज्यपाल ने कहा कि "राज" शब्द ब्रिटिश शासन के अवशेषों की याद दिलाता है। इसलिए केन्द्र सरकार की पहल पर यह बड़ा बदलाव किया गया है।

अटल भू-जल योजना से ग्रामीण भारत में जल प्रबंधन की जगी आशा : मदन राठौड़

"कैच द रेन" अभियान देश को जल आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम

जयपुर। भाजपा के राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने सदन के पटल पर जल प्रबंधन, भूजल संरक्षण और डिजिटल मॉनिटरिंग प्रणाली से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दे को उठाया। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय से यह स्पष्ट जानकारी मांगी कि देश में लागू विभिन्न जल संरक्षण योजनाओं की वास्तविक स्थिति क्या है और उनका आम जनता पर कितना असर पड़ रहा है। सांसद राठौड़ ने अटल भूजल योजना की प्रगति और इससे संबंधित राज्यों तथा ग्राम पंचायतों की वर्तमान स्थिति पर सवाल उठाए। जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने बताया कि अटल भूजल योजना एक सामुदायिक नेतृत्व आधारित कार्यक्रम है, जिसे सात राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 8203 ग्राम पंचायतों में लागू किया गया है। यह क्षेत्र वे हैं जहां लंबे समय से जल की अत्यधिक कमी देखी जा रही है।

■ 'अटल भूजल योजना एक सामुदायिक नेतृत्व आधारित कार्यक्रम है, जिसे सात राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 8203 ग्राम पंचायतों में लागू किया गया है'

उन्होंने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य भूजल स्तर में सुधार करना, समुदायों को जल प्रबंधन की मुख्य धारा से जोड़ना और गांव-पक्ष प्रबंधन को सशक्त बनाना है। इस योजना की बढौलत हजारों गांवों में जल उपयोग के प्रति जागरूकता और सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत देशभर के सभी जिलों में व्यापक कार्य चल रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा विकसित जियो-मंडल जीआईएस प्लेटफॉर्म और डिजिटल डैशबोर्ड्स इस अभियान का प्रमुख आधार हैं, जिनके माध्यम से भूजल की प्रवृत्तियों, रिक्त जलाशयों की क्षमता और रिचार्ज दरों का लगातार अध्ययन किया जाता है।